

राजस्थान सरकार
चिकित्सा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक पं. 12(38) चि.5/94-पार्ट-III

जयपुर दिनांक 25 जुलाई, 2001

अधिसूचना

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को समुचित प्राधिकारी नियुक्त करती है।

आज्ञा से
ह./-
(पी. लाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. अनुभागाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
8. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, दिल्ली।
9. निदेशक, महिला एवं बाल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक (प.क.)/(जन स्वास्थ्य)/(आई.ई.सी.)/(एड्स) मु.।
12. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
13. विशेषाधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
14. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
15. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
16. उप विधि परामर्शी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
17. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
18. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उपखण्ड, राजस्थान।
19. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
21. समस्त जिला जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान।
22. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
23. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
24. रक्षित पत्रावली।

(उप शासन सचिव)